

आदेश

सरकारी कार्यों को सूचारु रूप से चलाने के लिए निम्नलिखित कर्मचारियों की उनके वर्तमान कार्यों के अतिरिक्त ड्यूटी तुरन्त प्रभाव से निम्न प्रकार से लगाई जाती है, जिसके लिए कर्मचारियों को कोई अतिरिक्त मानदेय नहीं दिया जायेगा:-

| क्र०सं० | कर्मचारी का नाम व पद | जहां अतिरिक्त ड्यूटी लगाई जाती है |
|---------|--|-----------------------------------|
| 1 | श्री सतबीर सिंह, वन दरोगा स्पेशल ड्यूटी मण्डल कार्यालय रोहतक | महम रेंज कार्यालय |
| 2 | श्री विकास, वन दरोगा स्पेशल ड्यूटी मण्डल कार्यालय रोहतक | बैंसी बीट |

इसके अतिरिक्त श्रीमती मोनिका, वन दरोगा को बैंसी बीट के कार्य से भारमुक्त करते हुए मण्डल कार्यालय रोहतक में पदस्थ किया जाता है।

दिनांक : 12.03.2026


विनीत कुमार गर्ग, भा०व०से०,
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
हरियाणा, पंचकूला।

पृ० क्र०:-ई-2/2099-2104

दिनांक:- 13 .03.2026

एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है:-

1. वन संरक्षक, मध्य परिमण्डल, रोहतक को उनके पत्र क्रमांक 3985 दिनांक 23.02.2026 के संदर्भ में।
2. वन मण्डल अधिकारी, रोहतक।
3. निजी सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख हरियाणा, पंचकूला।
4. एम०आई०एस० शाखा, निदेशालय को आदेश विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. सर्व सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा वन मण्डल अधिकारी, रोहतक।


अधीक्षक (प्रशासन),

कृते०: प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख,
हरियाणा, पंचकूला।